न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बृजेन्द्र सिंह राठौड़ (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बरः— 68/2020 निर्णय दिनांक :—04.01.2023

सरकार बनाम श्री कैलाश पुत्र प्रहलाद जाति जोगी निवासी ग्राम कोट तहसील उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :—04.01.2023

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का नांगल तथा भू.अ. निरीक्षक उदयपुरवाटी द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का नांगल के ग्राम कोट में स्थित भूमि ख.न. 661 कुल रकबा 0.57 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.0270 है0 सरकारी भूमि पर मकान निर्माण कर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री कैलाश पुत्र प्रहलाद जति जोगी ने अनाधिकृत रूप से मकानो का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी/अतिक्रमी द्वारा दिनांक 19.10.2020 को जरिये विद्वान अधिवक्ता ईश्वर सिंह उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया जबाब नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा। अप्रार्थी/अतिक्रमी को जवाब नोटिस पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। अप्रार्थी/अतिक्रमी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया जवाब नोटिस निम्न प्रकार से हैः— यह कि उतरदाता के उक्त मकान करीब 40—45 वर्ष से काबिज है तथा इन रिहायसी मकानो के अलावा प्रार्थी के पास ओर कोई रिहायसी मकान उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी/अतिक्रमी ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि उक्त आराजी पर प्रार्थी की रिहायस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व का कब्जा है। उक्त आराजी का प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम पंचायत नांगल द्वारा दिनांक 05.07.1972 का पट्टा जारी किया हुआ है।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी के जवाब में यह तर्क दिया कि प्रार्थी पूर्णतया कृषि कार्य पर निर्भर है, जिस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 31(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को निःशुल्क भूमि प्राप्त करने का अधिकार है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ

कि उक्त आराजी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नही है। उक्त भूमि ग्राम कोट के निकट अवस्थित हे अर्थात धारा 97 के खण्ड (2) में वर्णित भूमि की श्रेणी में आती है जिसे धारा 91(5) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियत राशि ली जाकर अप्रार्थी को दी जा सकती है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन राजस्व ग्राम कोट के भूमि खसरा नम्बर 661 रकबा 0.57 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ राजकीय सिवायचक भूमि है ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का क्षैत्राधिकार नही हैं साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 31(2) के उपबंध उक्त राजकीय भूमि पर लागु नही होते है। अतः अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हे।

आदेश

पटवार हल्का नांगल ग्राम कोट में स्थित भूमि 661 कुल रकबा 0.57 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.0270 है0 भूमि. पर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री कैलाश पुत्र प्रहलाद जाति जोगी निवासी कोट को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक शहर लगान 0.17 रूपये का 50 गुणा यानि कुल 9/– रूपये (अक्षरे नौ रूपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थी/अतिक्रमी पर आरोपित किया जाता है। निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एंव भू0अ0 निरीक्षक उदयपुरवाटी को लिखा जावें। भू0अ0 निरीक्षक उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है अप्रार्थी को सरकारी भूमि में से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली इस न्यायालय में पेश करें।

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

[illegible] व वर्ष 2022-23 [illegible] 03
रुपये 09/– [illegible] कायमी की गई

राजस्व लेखाकार